

दिनांक

आज्ञा पत्र

23/8/24

पत्रावली पेश। अद्यतन उद्योगपत्र मु.पी.
218/1-पत्रावली वार्डों का दिनांक
23/8/24 की दिनांक 21/8/24

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

28/8/24

पत्रावली पेश। अपील अपीलान्त.....
की जाती है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद
तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 233/2012



- 1 जगदीश प्रसाद पुत्र तुलसीराम मृतक
- 1/1 भूरी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
- 1/2 रामदयाल पुत्र जगदीश प्रसाद
- 1/3 हरि पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
- 1/4 हजारी लाल पुत्र जगदीश प्रसाद मृतक
- 1/4/1 सरोज देवी पत्नी हजारी लाल
- 1/4/2 जुगल किशोर पुत्र हजारीलाल
- 1/4/3 मुकेश पुत्र हजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
- 1/4/4 शायर देवी पुत्री स्व. हजारीलाल पति दीपक
- 1/4/5 तारा देवी पुत्री स्व. हजारीलाल पति मनोज समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिग्रह निवासी लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 1/4/6 मधुबाला पुत्री स्व. हजारीलाल पत्नी मनोज जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर सीकर।
- 1/5 मदनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद मृतक
- 1/5/1 दीपक पुत्र मदनलाल
- 1/5/2 संदीप पुत्र मदनलाल
- 1/5/3 जितेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
- 1/6 महेन्द्र पुत्र जगदीशप्रसाद
- 1/7 दामोदर पुत्र जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

214

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वनाम

- 1 सांवता पुत्र मांगूराम मृतक
 1/1 हनुमान पुत्र सांवता
 1/2 वीरवल पुत्र सांवता मृत
 1/2/1 सुरेश पुत्र वीरवल
 1/2/2 मुकेश पुत्र वीरवल
 1/2/3 पिन्दू पुत्र वीरवल
 1/2/4 कमली बेवा वीरवल
 1/2/5 कृष्णा पुत्री वीरवल
 1/2/6 मन्जू पुत्री वीरवल
 2 जीता पुत्र मांगूराम मृतक
 2/1 मोहनलाल पुत्र जीता
 2/2 लक्ष्मण पुत्र जीता
 2/3 मूलचन्द पुत्र जीता
 2/4 गुलाबी देवी पत्नी जीता
 2/5 कमला देवी पुत्री जीता
 2/6 विमला देवी पुत्री जीता
 2/7 संतोष देवी पुत्री जीता
 2/8 श्रवणी देवी पुत्री जीता

समस्त जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

3 धीरा पुत्र मांगूराम मृतक

3/1 मूली देवी बेवाह स्व धीरा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

शुभ्रवन्ध अधिकारी एव
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर





3/2 गीता देवी पुत्री स्व धीरा पत्नी शैतान सिंह मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम मुंडिया जिला टोंक राज.।

3/3 तीजा देवी पुत्री स्व. धीरा पत्नी नन्दकिशोर मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम मुंडिया जिला टोक राज.।

3/4 संतोष देवी पुत्री स्व. धीरा पत्नी किशनलाल मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह गुलाब बाडी वाया शाहपुरा जिला जयपुर।

4 बोदू पुत्र बिलासा

5 किशना पुत्र बिलासा

6 हनुमान पुत्र सांवता जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी श्रीमाधोपुर मु. उनवानी जगदीश बनाम सांवता
वगै. मु.नं. 195/1988 निर्णय दिनांक 12.06.2012 के तहत
प्रतिवादीगण सांवता वगै. द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद वादीगण
के विरुद्ध डिक्री किया गया है।

अपील संख्या 234/2012

1 जगदीश प्रसाद पुत्र तुलसीराम मृतक

1/1 भूरी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद

Ans
मु.प्र.प्र. अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



- 1/2 रामदयाल पुत्र जगदीश प्रसाद
 1/3 हरि पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
 1/4 हजारी लाल पुत्र जगदीश प्रसाद मृतक
 1/4/1 सरोज देवी पत्नी हजारी लाल
 1/4/2 जुगल किशोर पुत्र हजारीलाल
 1/4/3 मुकेश पुत्र हजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
 1/4/4 ायर देवी पुत्री स्व. हजारीलाल पति दीपक
 1/4/5 तारा देवी पुत्री स्व. हजारीलाल पति मनोज समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिग्रह निवासी लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
 1/4/6 मधुबाला पुत्री स्व. हजारीलाल पत्नी मनोज जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर सीकर।
 1/5 मदनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद मृतक
 1/5/1 दीपक पुत्र मदनलाल
 1/5/2 संदीप पुत्र मदनलाल
 1/5/3 जितेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
 1/6 महेन्द्र पुत्र जगदीशप्रसाद
 1/7 दामोदर पुत्र जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर

- 1 सांवता पुत्र मांगूराम मृतक
 1/1 हनुमान पुत्र सांवता
 1/2 वीरवल पुत्र सांवता मृत
 1/2/1 सुरेश पुत्र वीरवल
 1/2/2 मुकेश पुत्र वीरवल
 1/2/3 पिन्दू पुत्र वीरवल
 1/2/4 कमली बेवा वीरवल
 1/2/5 कृष्णा पुत्री वीरवल
 1/2/6 मन्जू पुत्री वीरवल
 2 जीता पुत्र मांगूराम मृतक
 2/1 मोहनलाल पुत्र जीता
 2/2 लक्ष्मण पुत्र जीता
 2/3 मूलचन्द पुत्र जीता
 2/4 गुलाबी देवी पत्नी जीता
 2/5 कमला देवी पुत्री जीता
 2/6 विमला देवी पुत्री जीता
 2/7 संतोष देवी पुत्री जीता
 2/8 श्रवणी देवी पुत्री जीता



समस्त जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

3 धीरा पुत्र मांगूराम मृतक

3/1 मूली देवी बेवाह स्व धीरा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

3/2 गीता देवी पुत्री स्व धीरा पत्नी शैतान सिंह मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम मुंडिया जिला टोंक राज.।

24
 मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर



3/3 तीजा देवी पुत्री स्व. धीरा पत्नी नन्दकिशोर मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम मुडिया जिला टोक राज.।

3/4 संतोष देवी पुत्री स्व. धीरा पत्नी किशनलाल मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह गुलाब बाडी वाया शाहपुरा जिला जयपुर।

4 बोदू पुत्र बिलासा

5 किशना पुत्र बिलासा


6 हनुमान पुत्र सांवता जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी श्रीमाधोपुर मु. उनवानी जगदीश बनाम
सांवता वगै. मु.नं. 195/88 दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक 12.06.2012 के तहत वाद वादी खारिज
किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह राजपूत, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट


मू-प्रवन्त अधिकारी एच
पदेन राजरव अपील अधिकारी
सीकर



-निर्णय-

दिनांक:- 28.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 195/88 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलें एक ही निर्णय के विरुद्ध होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर नये 815, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 873, 874, 875 वाके ग्राम सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर उद्घोषणा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादीगण अपीलांट का वाद खारिज कर दिया एवं प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2042 प्रदर्श 1 तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 प्रदर्श 2 एवं पर्चा खतौनी प्रदर्श 3 तथा एएसओ का निर्णय दिनांक 13.10.1955 प्रदर्श 4 एवं रेस्पोजेन्ट सांवता की ओर से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रदर्श 6 व इसका जवाब प्रदर्श 7 प्रस्तुत किये गये। साथ ही साथ प्रदर्श 8 से 41 लगान जमा कराने की रसीदें प्रस्तुत की गई। जबकि इसके विपरित प्रतिवादी/रेस्पोजेन्ट पक्ष की ओर से मात्र गिरदावरियां व कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत किये। इस दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलान्टस रिकार्डेड खातेदार है और विवाद्यक संख्या 1 स्थायी

मू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजरव अपील अधिकारी
सीकर



निषेधाज्ञा के लिए बना हुआ है। रिकार्डेड खातेदार के पक्षकार में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इसके विपरित अगए प्रतिपक्षी काविज भी हो तो उसे अतिक्रमी ही माना जाता है और रिकार्डेड खातेदार के विपरित कानूनन निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। स्वीकृत रूप में अपीलान्ट वादीगण रिकार्डेड खातेदार है और अपनी खातेदारी अधिकारों के संबंध में राजस्व रिकार्ड विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। एएसओ के निर्णय के विरुद्ध रेशपोडेन्ट/प्रतिवादीगण की ओर से कोई आगे चाराजोही नहीं की गई। एएसओ का निर्णय अंतिम है। जिसके आधार पर भी अपीलान्ट/वादीगण रिकार्डेड खातेदार काविज काश्तकार है। नियत अवधि में रेशपोडेन्टस के द्वारा अपनी खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही रेशपोडेन्टस की ओर से कोई कार्यवाही की गई। इसलिए धारा 15 की उपधारा 3 (2) के अनुसार अवधिबाधित हो जाने के कारण रेशपोडेन्टस को मौजूदा काउण्टर वाद के तहत खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने का कोई अधिकार नहीं है और रेशपोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त होते हुए भी विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर काउण्टर वाद में चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया गया जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। काश्तकारी अधिनियम सन 1955 में लागू हुआ और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम सन 1952 में लागू हुआ। इसलिए रेशपोडेन्टस अधिक से अधिक सन 1958 तक अपनी खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते थे। जबकि प्रस्तुत काउण्टर वाद दिनांक 16.11.1990 में प्रस्तुत किया गया। यह काउण्टर वाद स्पष्ट रूप से अवधि बाधित है। विधिक स्थिति के अनुसार मात्र गिरदावरियों के आधार पर प्रतिवादीगण रेशपोडेन्टस को खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते। जो गिरदावरियां रेशपोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत की गई उनमें भी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि रेशपोडेन्टस लंबे समय से विवादित भूमियों पर काविज हो। कानूनन भी मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। अपीलान्ट वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का है और निषेधाज्ञा के लिए वादकारण उत्पन्न होने पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

पू-प्रबन्त अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
रीकर



अपीलान्त/वादीगण ने अपने वादपत्र के पैरा नम्बर 5 में वादकारण दिनांक 10.06.1988 का बताया गया है। इस वादकारण के आधार पर किस तरह से वाद अवधिबाधित है। यह इस विवादक के निर्णय में विचारण न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर साढ़े सात वर्ष पश्चात वाद प्रस्तुत करने का आधार लिया है जो वादकारण के कथनों के विपरित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार कर अपीलांत का वाद डिकी किया जावे एवं काउंटर क्लेम खारिज किया जावे। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2012(2) पेज 967, आरआरटी 2011-12 सप्ली. पेज 94 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद कथन जवाब दावे व काउंटर क्लेम के आधार पर 6 तनकीयात कायम की गई थी। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर वादी अपीलांत का वाद खारिज किया है एवं प्रतिवादीगण रेस्पोजेन्ट का काउंटर क्लेम स्वीकार किया। विचारण न्यायालय में पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सहायक भूप्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28.03.81 मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 18.06.1988, पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से रेस्पोजेन्ट का कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। कब्जे के अभाव में वादी अपीलांत का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से रेस्पोजेन्ट का कब्जा काश्त साधित होने से एवं वादी की रेस्पोजेन्ट के कब्जे की स्वीकारोक्ति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्थान अपील अधिकारी
सीकर



के आधार पर विचारण न्यायालय ने काउंटर क्लेम स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वाद कथन जवाब दावे व काउंटर क्लेम के आधार पर 6 तनकीयात कायम की गई थी। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है एवं प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्ट का काउंटर क्लेम स्वीकार किया। विचारण न्यायालय में पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सहायक भूप्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28.03.81 मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 18.06.1988, पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से रेस्पोंडेन्ट का कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। कब्जे के अभाव में वादी अपीलांट का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से रेस्पोंडेन्ट का कब्जा काश्त साबित होने से एवं वादी की रेस्पोंडेन्ट के कब्जे की स्वीकारोक्ति के आधार पर विचारण न्यायालय ने काउंटर क्लेम स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

भूप्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 28.2.24 को सरे इजलास सुनाया गया।



24
(बलदेवारांम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी
पदेन राजस्व अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी
सीकर सीकर